संख्या -12/2020/720/एक-1-2020-20(5)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक - 07 जुलाई, 2020

विषय- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनाँक- 06 जुलाई, 2020 तथा अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनाँक- 06 जुलाई, 2020 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की शक्ति कलेक्टर/मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित की गयी है। उक्त के क्रियान्वयन के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनाँक- 06 जुलाई, 2020 भी निर्गत किया जा चुका है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 06 जुलाई, 2020 से आच्छादित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के नए प्रस्ताव शासन को प्रेषित न किए जाएं तथा पूर्व में प्रेषित ऐसे प्रकरण जिनके संबंध में दिनाँक- 06 जुलाई, 2020 तक शासन द्वारा श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की अधिसूचना/शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनाँक- 06 जुलाई, 2020 के आलोक में कलेक्टर/मण्डलायुक्त के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 12/2020/720(1)/एक-1-2020-20(5)/2016 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
घनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in